मध्याह्न भोजन योजना

विद्यालयों में छीजन रोकने, नामांकित बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2005 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग I-V में पढ़ने वाले सभी छात्र/छात्रा को, 1 मार्च, 2008 से राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा, मकतब एवं संस्कृत विद्यालय में वर्ग VI-VIII में पढने वाले सभी छात्र/छात्रा को एंव वित्तीय वर्ष 2010–11 से बाल श्रमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं को गरमा गरम मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

सप्ताह के छः दिनों के लिये सोमवार से क्रमानुसार मध्याह्न भोजन का मीनू निर्धारित है जैसेः–(1) चावल, दाल, सब्जी (2) छोला/राजमा/पुलाव (3) आलू सोयाबीन–चावल (4) खिचड़ी–चोखा (5) कढ़ी–चावल (6) दाल–पुलाव।

उपर्युक्त मीनू में वर्ग I-V के छात्रों के लिए 100 ग्राम चावल के अतिरिक्त 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम हरी सब्जी, 5 ग्राम खाद्य तेल/वसा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा के लिए 150 ग्राम चावल के अतिरिक्त 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जी, 7.5 ग्राम खाद्य तेल/वसा प्रतिदिन प्रति छात्र/छात्रा निर्धारित है। NCLP के बच्चों को वर्ग I-V के बच्चों के मानदंड के अनुरूप ही मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है ताकि वर्ग I-V के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रतिछात्र 12 ग्राम प्रोटीन, 450 कैलोरी उर्जा तथा वर्ग VI-VIII के छात्र/छात्रा को प्रतिदिन प्रतिछात्र 20 ग्राम प्रोटीन, 700 कैलोरी उर्जा के अलावे आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामीन–ए जैसे माइक्रोन्यूट्रेन्टस निश्चित रूप से प्राप्त कराया जा सके।